



ऑन लाईन नं. RCMS2018/00142

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 58/2018

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री शिवनारायण पुत्र हरचंद्रराम पारिक, (नमूना विक्रेता एवं मालिक)
मै० हरित डेयरी, जी-1/112, द्वितीय फेज, रीको औद्योगिक क्षेत्र, घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
निवासी-161 रामपुर रोड, विशाल नगर, हिसार (हरियाणा)

अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 धारा 26 धारा (2)(2)/51

निर्णय

दिनांक : 04.04.2019

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.11.2017 को दोपहर बाद 1.00 बजे श्री राकेश सचदेवा लेब तकनीशियन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के वास्ते निरीक्षण फर्म मै० हरित डेयरी, जी-1/112, द्वितीय फेज, रीको औद्योगिक क्षेत्र, घडसाना जिला श्रीगंगानगर पहुंचे। वहां पर श्री शिवनारायण पुत्र हरचंद्रराम पारिक उपस्थित मिला। निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर उपरोक्त डेयरी का निरीक्षण किया तो उपरोक्त डेयरी में रखे 15000 लीटर क्षमता के सायलो में लगभग 10000 लीटर गाय का दूध आमजन को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जांच के-875 के नमूनीकरण के लिए इनमें से 2 लीटर गांय का दूध सायलो के दूध को प्लंजर से हिलामिला कर एक रूप करके एक साफ एवं सूखे स्टीलके बर्तन में खरीदा जिसकी कीमत 50/-रुपये (अखरे पचास रूपये मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाह श्री राकेश सचदेवा एवं श्रीमोमनराम के हस्ताक्षर हैं एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नम्बर-5 की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर 05 पर गांय का दूध विक्रेता शिवनारायण पुत्र श्री हरचंद्रराम पारिक एवं गवाहान ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।



अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा गांय का दूध बराबर-बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक बोतलो में भरकर चार नमूना भाग बनाए एवं ढक्कन बंद कर उन पर टेप चिपकाई। चारों नमूना भागों पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक कै-875 एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर और कागज के सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड एवं अनुक्रमांक कै-875 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह मोहर चपड़ी किया और उन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये व विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा श्री हरिराम वर्मा स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को श्री हरिराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया। नमूनीकरण के पश्चात शेष बचे गांय का दूध को नियमानुसार जब्त कर नमूना विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। इस समस्त की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता एवं गवाहन को पढ़ाकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/2714/एक्ट/2017/2786 दिनांक 06.12.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना कै-875 गांय का दूध अमानक स्तर **SUBSTANDARD FOOD** खाद्य पदार्थ पाया गया है। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त शिवनारायण पुत्र हरचंद्रराम पारिक मै0, हरित डेयरी, जी-1/112, द्वितीय फेज, रीको औद्योगिक क्षेत्र, घडसाना, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर गांय का दूध का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 26 धारा (2)(2)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 16.07.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त श्री शिवनारायण पुत्र हरचंद्रराम पारिक (नमूना विक्रेता एवं मालिक) ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस गांय का दूध का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **SUBSTANDARD FOOD** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त गांय के दूध में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।



3
अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

